



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04072026-274155  
CG-DL-E-04072026-274155

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 488]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 2026/आषाढ 10, 1948

No. 488]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 1, 2026/ASHADHA 10, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 546(अ).— केन्द्र सरकार, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उप-धारा 1(च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पीएचआरडी प्रभाग), भारत सरकार की दिनांक 25 जून, 2024 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 347 (अ.) के अधिक्रमण में, एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को विशाखापट्टणम पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में महापत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्य के रूप में नियुक्त करती है:-

| क्रम सं. | नियुक्त सदस्य का नाम                                                                                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | श्री आर. रामण बाबु, ड्राइवर, प्रथम श्रेणी, एफएफसी अनुभाग और वरिष्ठ उपाध्यक्ष, विशाखापट्टणम हार्बर और पत्तन क्रार्मिक संघ (वीएच एंड पीडब्ल्यू) विशाखापट्टणम |

|    |                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | श्री सर्वपल्ली अर्जुन राव, वरिष्ठ सहायक (वाणिज्यिक) यातायात विभाग का टीएम (रेलवे) (वाणिज्यिक) विशाखापट्टणम पत्तन कर्मचारी संघ, विशाखापट्टणम |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. बोर्ड के सदस्य की नियुक्ति, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के उपबंधों के अध्यधीन होगी। यह नियुक्ति, चेक-ऑफ की वैधता की तारीख तक अथवा सदस्यों की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने तक, अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, वैध होगी।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम भाग (1)]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

(PHRD Division)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 2026

**G.S.R. 546(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section 1 (f) of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways (PHRD Division) G.S.R. No. 347 (E) dated 25<sup>th</sup> June, 2024, the Central Government hereby appoints the following persons on the Board of Visakhapatnam Port Authority as Members representing the interests of the employees of the Major Port Authority: -

| SI. No. | Name of Member appointed                                                                                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | Shri R. Ramana Babu, Driver, 1 <sup>st</sup> Class, F.F.C. Section & Sr. Vice President, The Visakhapatnam Harbour & Port Workers' Union, (VH&PW) Visakhapatnam |
| 2.      | Shri Saripalli Arjuna Rao, Sr. Assistant (Commercial) TM (Rly) (Commercial) of Traffic Dept., The Visakhapatnam Port Employees' Union, Visakhapatnam            |

2. The appointment of Member of the Board shall be subject to the provisions of the Major Port Authorities Act, 2021. The appointment is valid till the date of validity of check-off, or until the attainment of age of superannuation of the Members, or till further orders, whichever is earliest.

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour-Part (1)]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.